संख्या–4738 / 9–आ–1–2001

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 1 लखनऊः दिनाँक– 23 अक्टूबर 2001

विषयः छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के ऋण/अनुदान प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से हुई आय को उपयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठित विकास योजना के अर्न्तगत शासन से प्राप्त ऋण/अनुदान की धनराशि को जिस खाते में जमा किया जाता है, उसी खाते में योजना की परिसम्पत्तियों से हुई आय जमा की जायेगी। उपरोक्त खाते से किसी पुनर्विनियोजित योजना की स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियेाजक द्वारा नगर की योजना की अवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

2. पुर्नविनियोजित योजना का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त ऋण/अनुदान की धनराशि से सृजित परिसम्पत्तियों से अर्जित आय की धनराशि से प्रस्तावित कर क्रियान्वित की जायेगी। प्रस्तावित पुर्नविनियोजित योजना का क्रियान्वयन, योजना के मानचित्र एवं आगणन इत्यादि की स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
3. उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सहायक नगर नियोजक एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का होगा, जिनके नाम संयुक्त रूप से रिवाल्विंग फण्ड का खाता खुला हुआ है।
उपरोक्त पुर्नविनियोजित योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

संख्या – 4738(1)/9–आ–1–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उप सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
6 आवास विभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजनान्तर्गत पुनर्विनियोजित योजना को क्रियान्वित किये जाने से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त :–

1. छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजनान्र्तगत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त ऋण/अनुदान से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से सृजित सम्पत्तियों एवं उससे सम्बन्धित अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त आय का लेखा जोखा शासन के निर्देशानुसार सम्बन्धित सहायक नियोजक/सहयुक्त नियोजक तथा सम्बंधित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के संयुक्त खाते में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रखा जायेगा।

2. सृजित सम्पत्तियों जैसे दुकानों इत्यादि के प्रथम तल पर (यदि स्वीकृत योजना में उस पर कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।) व्यवसायिक उपयोग हेतु दुकानें/हाल/गोदाम इत्यादि का निर्माण इस योजनानतर्गत कराया जा सकता है।

3. यदि नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व में ऐसी कोई भूमि उपलब्ध है, जिस पर आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य ऐसी योजना जो संगठित विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने हेतु प्राविधानित की गयी है, के विकास/निर्माण का कार्य कराया जा सकता है।

4. उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन से पूर्व योजना स्थल का चयन करते समय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के स्थानीय अधिकारी, यदि स्थानीय अधिकारी उपलब्ध न हो तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी तथा सम्बंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा उपयोगिता के आधार पर स्थल चयनित किया जायेगा।

5. उपरोक्त चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में किया जायेगा।

6. नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति में अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त योजना से सम्बंधित विस्तृत वास्तुकलात्मक डिजाइन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

7. सम्बंधित योजना की विस्तृत वास्तुकलात्मक डिजाइन के अनुमोदन के उपरान्त उसके आगणन की स्वीकृति भी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा की जायेगी।

8. सम्बंधित योजना के क्रियान्वयन किये जाने हेतु कराये जाने वाले समस्त कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया भी संगठित विकास योजना में स्वीकृत योजना के भुगतान की प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी।

9. योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त निर्मित/विकसित सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्त होने वाली समस्त आय को योजना कोष के रिवाल्विंग फण्ड, जो सम्बंधित सहायक नियोजक/ सहयुक्त नियोजक तथा अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित स्थानीय निकाय के संयुक्त खाते में रखा जायेगा।

10. प्राप्त केन्द्र एवं राज्य की ऋण/अनुदान राशि का कम से कम 75 प्रतिशत अंश रिवाल्विंग फण्ड के नगर की अवस्थापना के विकास के लिए वापस करना होगा जिसका उपयोग पुनर्विनियोजित योजना के अर्न्तगत भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा।

11. रिवाल्विंग फण्ड से पुनर्विनियोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के बिन्दु–4, 5 के अनुसार लाभकारी, लागत वापसी तथा अलाभकारी (सेवायें) योजनाओं पर व्यय का अनुपात 40ः, 30ः व 30ः रखा जायेगा एवं इसी अनुपात के अनुसार पुर्नविनियोजित योजनान्तर्गत योजनाओं की संरचना का अनुपात रखा जायेगा।

12. संबंधित नगरों में संगठित विकास योजनान्तर्गत क्रियान्वित की गई योजनाओं के रख–रखाव का कार्य भी उपरोक्त रिवाल्विंग फण्ड से पुनर्विनियोजित योजनान्तर्गत किया जा सकता है।